

राजस्थान - सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वामनवास
 पीठासीन अधिकारी :- सुश्री प्रियका कडेला आर.ए.एस.
 राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प कोर्ट एस.डी.एम. कार्यालय वामनवास
 मु.न. :-59/2024
 उनवान :- विनोद बनाम लेण्ड होल्डर वगै.

:-आदेश:-

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट वामनवास पर प्रस्तुत हुई । प्रार्थी की और से जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का अवलोकन किया गया । उक्त पत्रावली में प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार वामनवास की और से प्राप्त रिपोर्ट /अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सीतारामपुरा	30,31	विमल कुमार पुत्र टीकाराम (नाबालिक की जगह)	विनोद कुमार पुत्र टीकाराम (बालिक)

किसी प्रकार का रकम है जो संबंधित Bank ले Noc लेने के पश्चात् पालना यह आदेश आज दिनांक 13.9.2025 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट वामनवास में दिया गया । नीचे जाए

Prinka

(प्रियका कडेला)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 वामनवास

दिनांक:-

क्रमांक/कोर्ट/2025/
 प्रतिलिपी:-

1. तहसीलदार वामनवास को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

Prinka

उपखण्ड अधिकारी
 वामनवास

